REGD. NO. D. L.-33004/99

<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052020-219365 CG-DL-E-14052020-219365

असाधारण

EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

## सं. 171] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2020/वैशाख 24, 1942 No. 171] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2020/VAISAKHA 24, 1942

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

सं.वी-33/13/9/2014-स्था.IV.—क.रा.बी. (सामान्य) विनियमावली, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में, अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम एतद्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का पुर्नगठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामत:

क्र.सं.	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	विनियम के अधीन
1.	श्रम और रोजगार मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार	अध्यक्ष	विनियम 10(1)(क)
2.	मध्य प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव, श्रम विभाग,	उपाध्यक्ष	विनियम 10(1)(ख)
	बल्लभ भवन, भोपाल		
3.	निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, मध्य प्रदेश	पदेन सदस्य	विनियम 10(1)(घ)(i)
	सरकार		
4.	राज्य चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा	पदेन सदस्य	विनियम 10(1)(घ)(ii)
	निगम, मध्य प्रदेश		
5.	श्री एम. पी. पुजारी, वरिष्ठ अधिकारी, ग्रासिम	नियोक्ताओं के	विनियम 10(1)(ङ)
	इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिरलाग्राम नागदा, जिला-उज्जैन,	प्रतिनिधि	
	मध्य प्रदेश		

6.	श्री वेंकटेश गोयल, भास्कर वेंकटेश प्रोडक्ट लिमिटेड,	नियोक्ताओं के	विनियम 10(1) का
	भोपाल	अतिरिक्त प्रतिनिधि	परंतुक
7.	श्री स्विन्दर पाल, वर्धमान टेक्सटाइल जिला रायसेन,	नियोक्ताओं के	विनियम 10(1) का
	मंडीदीप	अतिरिक्त प्रतिनिधि	परंतुक
8.	श्री राजेश तिवारी, पुत्र स्वर्गीय श्री डी.सी. तिवारी,	नियोक्ताओं के	विनियम 10(1) का
	29-ए, वेद व्यास कॉलोनी, रतलाम (मध्य प्रदेश)	अतिरिक्त प्रतिनिधि	परंतुक
9.	श्री कृपाशंकर वर्मा, महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय परिवहन महासंघ, जबलपुर	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	विनियम 10(1)(ङ)
10.	श्री महेश मालवीय, पूर्व पार्षद, अध्यक्ष, पर्यवेक्षक संघ	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक
11.	श्री शिवकुमार नामदेव, अध्यक्ष पेपर मिल्स कर्मचारी	कर्मचारियों के	विनियम 10(1) का
	संघ अमलाई केंद्र, शहडोल	अतिरिक्त प्रतिनिधि	परंतुक
12.	श्री लक्ष्मीनारायण पाठक, आई.एन.टी.यू.सी. के	कर्मचारियों के	विनियम 10(1) का
	कोषाध्यक्ष, इंदौर, मध्य प्रदेश	अतिरिक्त प्रतिनिधि	परंतुक
13.	क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर	सदस्य सचिव	विनियम 10(3)

पी. बी. मणि, बीमा आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./26/2020-21]

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION NOTIFICATION

## New Delhi, the 16th March, 2020

No. V-33(13)9/2014-E. IV.—In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of ESI (General) Regulations, 1950, the Chairman, ESI Corporation hereby re-constitutes the Regional Board for Madhya Pradesh State, which shall consist of the following members, namely:

SI. No.	Name of Representative	Designation	Under Regulation
1	Minister of Labour & Employment, State Govt. of Madhya Pradesh	Chairman	Reg. 10(1)(a)
2	Principal Secretary to the Govt. of Madhya Pradesh, Labour Department, Ballabh Bhawan, Bhopal	Vice-Chairman	Reg. 10(1)(b)
3	Director, ESI Scheme, State Govt. of M.P.	Ex-Officio Member	Reg. 10(1)(d)(i)
4	State Medical Officer ESI Corporation, M.P.	Ex-Officio Member	Reg. 10(1)(d)(ii)
5	Shri M.P. Pujari, Senior Officer, Grasim Industries Limited, Birlagram Nagda, District-Ujjain, Madhya Pradesh	Employers' Representative	Reg. 10(1)(e)
6	Shri Venkatesh Goyal, Bhaskar Venkatesh Product Ltd., Bhopal	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)

7	Shri Swinder Pal, Vardhman Textiles District Raisen, Mandideep	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
8	Shri Rajesh Tiwari, S/o Late D.C. Tiwari, 29-A, Ved Vyas Colony, Ratlam (Madhya Pradesh)	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
9	Shri Kripashankar Verma, General Secretary, Indian National Transport Federation, Jabalpur	Employees' Representative	Reg. 10(1)(e)
10	Mr. Mahesh Malviya, former Councilor, President, Supervisor Association	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
11	Mr. Shivkumar Namdev, President Paper Mills Employees Union Amlai Kendra, Shahdol	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
12	Shri Laxminarayan Pathak, Treasurer INTUC, Indore, M.P.	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
13	The Regional Director, ESI Corporation, Regional Office, Indore.	Member Secretary	Regulation 10(3)

## P. B. MANI, Insurance Commissioner

[ADVT./III/4/Exty./26/2020-21]